सेवा में,

सहायक रजिस्ट्रार,
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

विषयः– <u>मुन्ना पाल कैलाशी देवी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ग्राम–कोदवट, पोस्ट–गायघाट,तहसील–धनघटा,जिला–सन्तकबीरनगर के पंजीयन के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक संस्था के पंजीयन हेतु स्मृति पत्र और नियमावली दो–दो प्रति में तथा जनपद में संस्था के नाम की कोई दूसरी संस्था पंजीकृत न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र व पंजीयन शुल्क मुबलिग रू0 1000.00 प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः निवेदन है कि संस्था का पंजीयन शीघ्र करने की कृपा करें।

संलग्नकः–

1. स्मृति पत्र दो प्रति में।
2. नियमावली दो प्रति में।
3. शपथ पत्र।

भवदीय

(श्रवण पाल)
मंत्री / प्रबन्धक
मुन्ना पाल कैलाशी देवी एजुकेशनल सोसाइटी
कोदवट,जिला–सन्तकबीरनगर।

दिनांक– 05.XII.2017

सेवा में,

सहायक रजिस्ट्रार,

फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स

गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

विषयः— मुन्ना पाल कैलाशी देवी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ग्राम—कोदवट, पोस्ट—गायघाट,तहसील—धनघटा,जिला—सन्तकबीरनगर के पंजीयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संस्था के पंजीयन हेतु स्मृति पत्र और नियमावली दो—दो प्रति में तथा जनपद में संस्था के नाम की कोई दूसरी संस्था पंजीकृत न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र व पंजीयन शुल्क मुबलिग रू0 1000.00 प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः निवेदन है कि संस्था का पंजीयन शीघ्र करने की कृपा करें।

संलग्नक—

1. स्मृति पत्र दो प्रति में।
2. नियमावली दो प्रति में।
3. शपथ पत्र।

भवदीय

श्रवण पाल

(श्रवण पाल)

मंत्री / प्रबन्धक

मुन्ना पाल कैलाशी देवी एजुकेशनल सोसाइटी

कोदवट,जिला—सन्तकबीरनगर।

दिनांक— 05.XII.2007

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये — TEN RUPEES

रु.10 — Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH — 51AA 215012

समक्ष,

सहायक रजिस्ट्रार,
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

मै बरुण पाल पुत्र श्री मुन्ना लाल निवासी ग्राम–कोदवट,पोस्ट–गायघाट,तहसील–धनघटा, जिला–सन्तकबीरनगर एक सोसाइटी पंजीकृत कराना चाहता हूँ। इसके क्रियाकलापों से परिचित हूँ व संस्था का मंत्री /प्रबन्धक हूँ तथा यह शपथ पत्र प्रस्तुत करने मे सक्षम हूँ। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ–

1. यहकि मेरे संज्ञान मे आवेदित संस्था मुन्ना पाल कैलाशी देवी एजूकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ग्राम–कोदवट,पोस्ट–गायघाट,तहसील–धनघटा,जिला–सन्तकबीरनगर नाम से कोई पूर्व पंजीकृत सोसाइटी नही है और न ही मेरी संस्था का उद्देश्य किसी पूर्व पंजीकृत/अपंजीकृत सोसाइटी के प्रबन्ध समिति/परिसम्पत्तियों मे अनावश्यक या बलात कब्जे का है।
2. यह कि उक्त मुन्ना पाल कैलाशी देवी एजूकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से पूर्व पंजीकृत संस्था पायी जाती है तो मै अपनी सोसाइटी का नाम परिवर्तन कर लूँगी अन्यथा की स्थिति मे सोसाइटी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाय।
3. यहकि स्मृति पत्र तथा नियमावली पर जिन सदस्यों/पदाधिकारियों के नाम व पते दर्ज है वह मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य व सही है। स्मृति पत्र व नियमावली मे अंकित हस्ताक्षर स्मृति पत्र मे वर्णित व्यक्तियों के द्वारा ही किये गये है।
4. यहकि संस्था का उद्देश्य कुछ और न होकर पूर्णतया सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1860 की धारा 20 के अन्तर्गत ही होगा।
5. यहकि संस्था का उद्देश्य शैक्षणिक/साहित्यिक/सामाजिक ही होगा और लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से कोई कार्य नही किया जायेगा।
6. यहकि शपथ पत्र के पैरा 1 ता 5 मेरी जानकारी के अनुसार सही व सत्य है इसमें कोई बात छुपा नही लिखी गयी है। ईश्वर मेरी मदद करें।

शपथकर्ता

बरुण पाल

(बरुण पाल)

दिनांक–

स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम : मुन्ना पाल कैलाशी देवी एजूकेशनल वेलफेयर सोसाइटी

2. संस्था का पूरा पता : ग्राम-कोटवट,पोस्ट-नाथघाट,तहसील-धनघटा,

जिला-सन्तकबीरनगर।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4. संस्था का उद्देश्य : समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों, महिलाओं एवं युवकों को उचित प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार की तरफ प्रेरित करने एवं उनमें आत्म विश्वास उत्पन्न करने के लिए संस्थागत रूप से आवश्यक कार्यों को करना तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था कर जन सामान्य के सामाजिक उन्नयन हेतु शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण सुरक्षा एवं समाज कार्य के क्षेत्र में विभिन्न कार्यों को करना ही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त संस्था के अन्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1- जन सामान्य को उचित शिक्षा, प्रदूषण रहित स्वस्थ वातावरण तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने से सम्बन्धित आवश्यक कार्यों को करना।

2- समाज के पिछड़े हुए लोगों को साक्षर बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना एवं क्षेत्र के बालक-बालिकाओं को सुविधा पूर्वक उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टर (10+2), डिग्री व पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना कर शिक्षा के विभिन्न संकायों के विषयों की अध्ययन सुविधा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना जिससे प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा, विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी मैनेजमेन्ट की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करना और पिछड़े क्षेत्र के अविकसित विद्यालयों के प्रगति के लिए प्रयास करना।

3- समाज के पिछड़े एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के उत्थान हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण जैसे- कम्प्यूटर टाइपिंग, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, संगीत शिक्षा, फल संरक्षण, रेक्सिन कला एवं ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के योग्य बनाना।

4- निर्बलों के उत्थान हेतु शिक्षा एवं उपयोगी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना तथा सामान्य जन में चेतना जागृत करने एवं उनके बौद्धिक विकास के लिए

(1) [illegible] पाल (2) [illegible] (3) [illegible]
(4) [illegible] (5) बीरबल पाल (6) [illegible]
(9) [illegible] पाल (7) [illegible]

पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना तथा हेरिटेज व संग्रहालय को स्थापित कर पुरातन धरोहरों को संरक्षित करने के उद्देश्य से आवश्यक कार्यों को करना।

5- नवयुवक एवं नवयुवतियों को रचनात्मक दिशा देने के लिए लघु उद्योगों, प्राविधिक शिक्षा के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा उन्हें स्वरोजगार हेतु विभिन्न विधाओं की शिक्षा एवं कम्प्यूटर से सम्बन्धित हार्डवेयर व साफ्टवेयर का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्म निर्भर बनाने का प्रयास करना। विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के उत्थान हेतु निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करना।

6- समाज को साक्षर बनाने के लिए सर्वशिक्षा कार्यक्रम का संचालन करना तथा शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों एवं विकलांगों हेतु कल्याणकारी कार्यों को सम्पादित करना तथा इनके रहने के लिए भवन व छात्रावास बनवाना। इसके अतिरिक्त समाज के अधिक उम्र व निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध करना।

7- विकास से सम्बन्धित कल्याणकारी कार्यक्रमों को आयोजित एवं संचालित करना तथा जन सामान्य के बौद्धिक विकास हेतु सेमिनार एवं कैम्प के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा हिन्दी व अन्य भाषाओं एवं लोक साहित्य के विकास हेतु प्रचार प्रसार करना तथा इस हेतु लोक कला केन्द्रों की स्थापना व पत्र-पत्रिका इत्यादि का प्रकाशन करना तथा आम जन के लिए सामाजिक,सांस्कृतिक एवं धार्मिक ज्ञानवर्धक मनोरंजन कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।

8- खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्टस, ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित करना तथा युवा वर्ग के कल्याण हेतु व्यायामशालाओं का निर्माण कराना और इस प्रकार लोगों में खेल भावना जागृत कर विभिन्न खेलों के प्रति जन सामान्य की अभिरूचि उत्पन्न करना तथा खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए पुरस्कार वितरण की व्यवस्था करना और इस हेतु कार्यक्रमों को आयोजित करना।

9- अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति तथा समाज के निर्धन व्यक्तियों के सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान में सहायक विभिन्न कल्याणकारी योजनायें बनाना तथा महिला सम्मेलन, बाल सम्मेलन व वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना।

10- समाज के पिछड़े वर्ग हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण जैसे-टाइपिंग,कम्प्यूटर डाटा प्रोसेसिंग,स्क्रीन प्रिंटिंग, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक

(1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5) ... (6) Anil Pal (7) ...
(8) इन्द्र प्रताप पाल

मोटर मैकेनिक, रेडियो, टेलिंग, लघु एवं कुटीर उद्योग, मोटर वाइंडिंग, टी. वी. एयर कन्डीशनर का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के योग्य बनाना।

11- बौद्धिक विचार हेतु विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, सामाजिक कार्यक्रम जागरूकता शिविर, देशाटन एवं यात्राओं का आयोजन करना।

12- स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों को संचालित करना तथा कैम्प एवं सेमिनार आयोजित कर सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक एवं प्रेरित करना और स्वच्छता अभियान चलाकर समाज को रोगमुक्त करना। निःशुल्क टीकाकरण, रक्तदान शिविर तथा नेत्र-ज्योति शिविर का आयोजन करना और धर्मार्थ चिकित्सालयों का निर्माण कर चिकित्सा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य निःशुल्क संचालित करना।

13- कृषि एवं भूमि सुधार से सम्बन्धित कार्यों के द्वारा भूमिसंरक्षण एवं जलसंरक्षण का कार्य करना तथा विशेषज्ञों के आधुनिकतम शोध कार्यों से कृषकों को लाभ पहुँचाना तथा कृषि विविधिकरण कार्यक्रमों का संचालन करना तथा कृषि से सम्बन्धित पशु पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन व रेशम कीट पालन की जानकारी कृषकों को निःशुल्क उपलब्ध कराकर उनके विकास में सहयोग करना और पशु एवं कृषि में होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु कार्य करना।

14- दैवी आपदा बाढ़, भूकम्प इत्यादि से पीड़ित जनों की सहायता करना तथा विभिन्न प्रकार की महामारी की रोकथाम के लिए जन साधारण की हर प्रकार से सहायता करना।

15- गोवंश की रक्षा, भरण पोषण इत्यादि की व्यवस्था करना और इस हेतु गौशालाओं की स्थापना करना तथा डेयरी फार्म व दुग्ध विकास के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु आवश्यक कार्यों को निःस्वार्थभाव से करना।

16- पर्यावरण से सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य कर प्रदूषण नियन्त्रण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा वृक्षारोपण एवं वन विकास से सम्बन्धित कार्यों को करना।

17- महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा निराश्रित महिलाओं, वृद्धों व बच्चों के लिए आश्रय स्थल तथा ओल्डएज होम को स्थापित करना।

18- सामाजिक उत्थान के लिए समस्त सम्बन्धित कार्य करना जो राष्ट्रीय

(1) बृजराज पाल (2) [signature] (3) [signature]
(5) [signature]
(4) श्रीराम पाल (6) [signature]
(8) इन्द्र प्रतापपाल (7) [signature]

विकास कार्यक्रमों को गतिशील करने व स्थानीय समस्याओं को दूर करने में सहयोगी हों तथा दहेज, छुआ-छूत, जातिगत विद्वेष, मद्यपान व सामाजिक असमानता को हटाने हेतु आवश्यक कार्य तथा समाज सुधार के कार्यक्रमों को करना।

19- समाज में व्याप्त छुआ-छूत, ऊँच नीच तथा जाति धर्म की विषमता को दूर करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने का कार्यक्रम बनाना। मादक पदार्थों का नशा करने वालों की लत छुड़ाने के लिए गोष्ठी एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जनजागरण करना और इसके लिए चिकित्सकों की मदद से धर्मार्थ अस्पतालों का निर्माण करना।

20- भगवान बुद्ध के सत्य अहिंसा के विचारों का जनसामान्य में प्रचार करना तथा गांधी जी की विचारधारा के आधार पर खादी आयोग एवं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित सभी किस्म के उद्योगों का संचालन कर रचनात्मक कार्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

21- युवक एवं युवतियों में समाज सेवा, देश सेवा, ग्राम सेवा, सदाचार कर्तव्य परायणता, आत्म विश्वास,स्वावलम्बन तथा भाईचारे की भावना जागृत करना और अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, दलित, कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लघु एवं सीमान्त कृषकों, भूमिहीनों, मजदूरों एवं ग्रामीण हस्तकारों को स्वतः रोजगार उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी ज्ञान देने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

22- सड़क सुरक्षा नियमों एवं यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए जनसामान्य को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके।

23- सांस्कृतिक,शैक्षिक तथा अन्य प्रदर्शनियों का प्रदर्शन बिना किसी लाभ के निःस्वार्थ भाव से करना।

24- राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को बनाये रखने तथा उससे सम्बन्धित हर सम्भव प्रयास एवं कार्य करना।

25- समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना।

26- सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 की धारा 20 के अन्तर्गत वर्णित कार्यों को करना।

5. समिति के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के इस स्मृति पत्र तथा नियमावली के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है -

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती गुन्जन पाल	श्री अनिल पाल	ग्राम-कोदवट,पोस्ट-गायघाट जिला-सन्तकबीरनगर	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्री सोम नाथ पाल	श्री रवीन्द्र पाल	ग्राम-कोदवट,पोस्ट-गायघाट जिला-सन्तकबीरनगर	उपाध्यक्ष	कृषि
3.	श्री श्रवण पाल	श्री मुन्ना पाल	ग्राम-कोदवट,पोस्ट-गायघाट जिला-सन्तकबीरनगर	मंत्री/ प्रबंधक	समाजसेवा
4.	श्रीमती निर्मला पाल	श्री सत्य प्रकाश पाल	ग्राम-कोदवट,पोस्ट-गायघाट जिला-सन्तकबीरनगर	संयुक्तमंत्री/ उपप्रबन्धक	कृषि
5.	श्रीमती गीता पाल	श्री सुनील पाल	ग्राम-कोदवट,पोस्ट-गायघाट जिला-सन्तकबीरनगर	सदस्य	गृहिणी
6.	श्री वीरेन्द्र पाल	श्री मुन्ना पाल	ग्राम-कोदवट,पोस्ट-गायघाट जिला-सन्तकबीरनगर	सदस्य	अध्ययन
7.	श्री हेमराज पाल	श्री संतक पाल	ग्राम-लखनापार,पोस्ट-गनेशगंज,जिला-सन्तकबीरनगर	सदस्य	कृषि
8.	श्री अनिल पाल	श्री वीरेन्द्र पाल	ग्राम-कोदवट,पोस्ट-गायघाट जिला-सन्तकबीरनगर	सदस्य	कृषि
9.	श्री इन्द्र प्रताप पाल	स्व० फौजदार पाल	ग्राम-कोदवट,पोस्ट-गायघाट जिला-सन्तकबीरनगर	सदस्य	कृषि

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति-पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजि० एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया गया है।

दिनांक : 04.XII.2008

सदस्यों के हस्ताक्षर

नियमावली

1.	संस्था का नाम	:	मुन्ना पाल कैलाशी देवी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी
2.	संस्था का पूरा पता	:	ग्राम-कोटवट,पोस्ट-गायघाट,तहसील-धनघटा, जिला-सन्तकबीरनगर।
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र	:	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4.	संस्था का उद्देश्य	:	जैसा कि स्मृति पत्र में दिया गया है।
5.	संस्था की सदस्यता	:	संस्था के उद्देश्यों, नियमों में निष्ठा रखने वाले विभिन्न सदस्यों की सदस्यता निम्नवत होगी -

1- संरक्षक सदस्य -

संस्था के स्मृति पत्र के अन्त में जिनका नाम पदाधिकारी एवं सदस्य के रूप में दिया गया है और जिनकी सदस्यता मुन्ना पाल कैलाशी देवी एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा मान्य की गयी है,संस्था के संरक्षक सदस्य होंगे तथा उन्हें संस्था के प्रबन्धन एवं संचालन के सम्बन्ध में विशेष अधिकार प्राप्त होगा। भविष्य में संस्था की प्रबन्ध समिति द्वारा संस्था हित में निर्धारित की गयी धनराशि जो रू0 11000/- से कम नहीं होगी, को निःस्वार्थ भाव से उक्त सदस्यों द्वारा संस्था के कोष में जमा किये जाने पर उनकी सदस्यता आजीवन हो सकेगी। भविष्य में संस्था की प्रबन्धकारिणी द्वारा संस्था के हितैषी अन्य व्यक्तियों को भी निर्धारित शुल्क प्राप्त कर आजीवन सदस्य बनाया जा सकेगा।

2. साधारण सदस्य -

कोई भी व्यक्ति संस्था के कोष में रू0 100/- वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करने पर प्रबन्धकारिणी के अनुमोदन के उपरान्त संस्था का साधारण सदस्य बनाया जा सकेगा। इस कोटि के सदस्यों को समय-समय पर निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा करना आवश्यक होगा, परन्तु किसी भी सदस्य द्वारा 2 वर्ष का वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा न करने की स्थिति में उसकी सदस्यता मंत्री/प्रबन्धक द्वारा समाप्त की जा सकेगी। संस्था के इस कोटि के सदस्य लगातार 5 वर्ष तक सदस्य बने रहने के उपरान्त ही मतदान में भाग ले सकेंगे और दस वर्ष की अनवरत सदस्यता के उपरान्त ही उन्हें प्रबन्ध समिति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार होगा।

3. विशिष्ट सदस्य -

संस्था के हित में प्रबन्ध समिति द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ व्यक्तियों

(1) मुन्ना पाल (2) [illegible] (3) [illegible]

को संस्था के विशिष्ट सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा सकेगा,जिनकी अधिकतम संख्या 5 होगी तथा इस कोटि के सदस्यों को किसी प्रस्ताव पर मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

4. सदस्यता की समाप्ति –

अ) निम्नलिखित दशाओं में सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी –

1– मृत्यु हो जाने पर।

2– पागल या दिवालिया हो जाने पर।

3– निर्धारित अवधि पर शुल्क न जमा करने पर।

4– लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

5– त्याग पत्र देने या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।

ब) संस्था के उद्देश्यों के विपरीत आचरण सिद्ध हो जाने पर अथवा संस्था के हितों के विपरीत कार्य करने पर किसी सदस्य की सदस्यता प्रबन्ध समिति द्वारा निरस्त की जा सकेगी।

स) किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त होने पर उसे अपने पद से स्वयमेव मुक्त समझा जायेगा और उसे अपने पद के कार्याधिकार का प्रयोग करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होगा।

6. संस्था के अंग –

अ) साधारण सभा ब) प्रबन्ध समिति

अ) साधारण सभा –

गठन –

साधारण सभा का गठन नियम – 5 के उपनियम 1 व 2 में दिये गये सदस्य मिलकर करेंगे।

बैठक –

साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार सूचना देकर किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि –

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों को कम से कम 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 1 दिन पूर्व दी जायेगी।

गणपूर्ति –

साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्य संख्या के दो–तिहाई (2/3)

① सुनन्द पाल ② [illegible] ③ भवपाल ④ विमला पाल

सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

वार्षिक अधिवेशन की तिथि –

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर किया जायेगा, जिसका निर्णय प्रबन्धकारिणी समिति अपने बहुमत से करेगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य –

क) प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।

ख) संस्था का वार्षिक बजट पास करना।

ग) संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पास करना।

घ) संशोधन प्रक्रिया दो तिहाई बहुमत से पारित करना।

ङ) संस्था का नीति निर्धारित करना।

च) प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्तुत विषयों पर अपनी स्वीकृति/अस्वीकृति प्रदान करना।

छ) अन्य सभी कार्य करना जो संस्था की प्रगति में सहयोगी हों।

ब) प्रबन्ध समिति –

गठन –

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्ध समिति का गठन होगा जिसमें 4 पदाधिकारी और 5 सदस्य रहेंगे जिनकी कुल संख्या कम से कम 9 होगी। निर्वाचन के सम्बन्ध में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर प्रबन्धसमिति द्वारा मनोनीत किसी सदस्य की देख-रेख में गुप्त मतदान भी हो सकेगा और इस स्थिति में मनोनीत सदस्य का निर्णय अन्तिम होगा।

बैठकें –

प्रबन्धसमिति की सामान्य बैठक साल में दो बार एवं विशेष बैठक आवश्यकतानुसार सूचना देकर किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि –

प्रबन्धसमिति की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को सात दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी।

गणपूर्ति –

प्रबन्धसमिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्य संख्या की 2/3 उपस्थिति आवश्यक होगी।

① गुन्जन पाल ② [illegible] ③ श्री पालपाल ④ लिमला पाल

रिक्त स्थानों की पूर्ति -

प्रबन्धसमिति के अन्दर रिक्त स्थान होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के सदस्यों मे से प्रबन्ध समिति के उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा शेष काल के लिए की जाएगी।

प्रबन्ध समिति के अधिकार एवं कर्तव्य -

अ) संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।

ब) संस्था का वार्षिक रिपोर्ट एवं बजट तैयार कर साधारण सभा से अनुमोदित कराना।

स) संस्था के क्षेत्र को बढ़ाना और घटाना एवं आवश्यकतानुसार कार्यालय का स्थानान्तरण करना।

द) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उप समितियों का गठन करना तथा गठित उपसमिति के कार्यों को निर्धारित करने के लिए उपनियम विरचित करना।

य) संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं कार्यों के सुगम संचालन हेतु संस्था का कार्यालय भारतवर्ष के अन्य शहरों व स्थानों पर खोलना।

र) कर्मचारियों के नियुक्ति एवं निष्कासन को अनुमोदित करना।

ल) संस्था के हित के लिए योजनाएं बनाना एवं क्रियान्वित करना।

व) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चंदा, दान, अनुदान व्यक्तियों एवं संस्थाओं व स्थानीय निकायों, सरकारी, गैर सरकारी विभागों से सहायता प्राप्त करना तथा व्यक्ति संस्थाओं से ऋण व अनुदान प्राप्त करना तथा इस प्रकार के कार्यों सम्पादित करने के बाबत बन्ध पत्रों इत्यादि को निष्पादित करने के लिए पदाधिकारियों को अधिकृत करना।

श) क्रय एवं पट्टे द्वारा भूमि भवन व अन्य चल अथवा अचल सम्पत्ति तथा उससे सम्बन्धित अधिकारों का अर्जन करना।

ष) संस्थान की भूमि, भवन या अन्य प्रकार की चल अचल सम्पत्ति को लीज व किराये पर देना तथा इससे सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करने के लिए पदाधिकारियों को अधिकृत करना।

स) संस्था के सदस्यों के द्वारा आकस्मिक व्यय के लिए आपसी सहयोग से एकत्र किये गये धन की व्यवस्था करना।

कार्यकाल -

प्रबन्धसमिति का गठन पाँच वर्ष के लिए होगा।

(2) हुमन पाल (3) [illegible] (4) मंगलपाल (5) विमला पाल

प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य –

अध्यक्ष –

क) संस्था के विकास हेतु आवश्यक सलाह संस्था के पदाधिकारियों को देना।

ख) संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्य करने के सम्बन्ध में पदाधिकारियों को निर्देशित करना।

ग) संस्था के अभिभावक के रूप में संस्था के हित की कार्ययोजना प्रस्तावित करना।

घ) संस्था के सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।

ङ.) किसी प्रस्ताव पर समान मत होने पर एक अतिरिक्त निर्णायक मत देना।

च) प्रबन्धसमिति की ओर से इसके समस्त पदाधिकारियों में कार्यों का विभाजन करना और समय समय पर आवश्यकतानुसार दायित्वों को सौंपना तथा मंत्री/प्रबन्धक व अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से सरकारी, गैर सरकारी विभागों तथा संस्थाओं से सहयोग व सहायता संस्था के सर्वोच्च पदाधिकारी के रूप में प्राप्त करना।

उपाध्यक्ष –

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष से प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करना तथा उनके कार्यों में नियमानुसार सहयोग करना।

मंत्री/ प्रबन्धक –

क) बैठकों के लिए तिथियों का अनुमोदन, परिवर्तन तथा स्थान निर्धारित करना तथा बैठकों को स्थगित करना।

ख) संस्था का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।

ग) समस्त बिल व वाउचरों पर हस्ताक्षर करना।

घ) प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।

ङ) पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।

च) सदस्यों से सदस्यता शुल्क प्राप्त कर उन्हें अपने हस्ताक्षर से रसीद देना तथा उनका नाम सदस्यता रजिस्टर पर नोट करना।

छ) संगठन की ओर से समस्त अदालती कार्यवाही करना।

ज) संगठन के सदस्यों व पदाधिकारियों द्वारा अनैतिक एवं संस्था विरोधी कार्य किए जाने पर उन्हें दण्डित व निष्कासित प्रबन्धसमिति के अनुमोदन पर करना।

झ) विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों तथा समाज सेवी संस्थाओं व

(1) गुन्जन पाल (2) [signature] (3) भगवानपाल (4) विमला पाल

दायित्व मंत्री/ प्रबन्धक का होगा। निम्नलिखित अभिलेख मुख्य तौर पर संस्था के अभिलेख होंगे-

क) सदस्यता रजिस्टर , ख) कार्यवाही रजिस्टर

ग) सूचना रजिस्टर , घ) कैश बुक आदि

12. **नियमों में संशोधन –**

संस्था के नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किये जाने पर साधारण सभा के 2/3 बहुमत से उसे स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी और इस प्रकार किये गये संशोधन सक्षम अधिकारी द्वारा मान्य किये जाने के उपरान्त ही प्रभावी होंगे।

13. **संस्था का विघटन –**

संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा-13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक : ..4.XII.2009 सत्य प्रतिलिपि

① सुनन पाल ② सोमनाथ पाल

③ श्रीपाल ④ निर्मला पाल